

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर**  
**पीठासीन अधिकारी -डॉ०सूरज सिंह नेगी**

प्रार्थना पत्र संख्या 98/2021

तारीख रजू 04.10.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. श्रीमती जानकी पत्नी श्रीया जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर
2. श्रीया पुत्र लडडू जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

1. राजकीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से
2. श्री शिवचरण सोनी एडवाकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 24/7/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण जानकी पत्नी श्रीया जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूंगर एवं श्रीया पुत्र लडडू जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 795/1898 रकबा 1.01 है० वाके ग्राम बाढबिलोली में आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 795/1898 रकबा 1.01 है० पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने, भूमि उबड-खाबड व असमतल होने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 795/1898 रकबा 1.01 है० पर भू. अ. निरीक्षक वृत्त चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त है जिससे यह साफ

**अति. जिला कलेक्टर**  
**सवाई माधोपुर**



जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया कि उनके पक्षकार को आराजी खसरा नम्बर 795/1898 रकबा 1.01 है० किस्म बंजड वाके ग्राम बाढबिलोली में आदेश दिनांक 06/06/2002 को आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का चकबिलोली द्वारा गलत फर्द मौका तैयार कर पेश किया गया है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही करना बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण जानकी पत्नी श्रीया जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूंगर एवं श्रीया पुत्र लडडू जाति बैरवा निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 795/1898 रकबा 1.01 है० वाके ग्राम बाढबिलोली में आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी होना तथा भूमि उबड खाबड व असमतल होना अंकित किया है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र एक पूर्व निर्धारित टाईपशुदा प्रपत्र पर खाली स्थानों में महज आवंटी की सूचनाएँ बदल - बदलकर बिना मौके की स्वयं द्वारा जाँच किये हुये अपूर्ण स्थिति तथा बिना डिस्पेच किये हुए ही भिजवाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अपूर्ण होने के कारण तहसीलदार मलारनाडूंगर को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मलारनाडूंगर के आराजी खसरा नम्बर 795/1898 रकबा 1.01 है० का स्वयं मौका देखकर अगर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने तथा आवंटी के आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 24/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर